SAMPANN पेंशनरों हेतु आवश्यक सूचना

1– सभी सम्पन्न पेंशनरो/परिवार पेंशनरो को सेवा निवृत्ति/मृत्यू तिथी से एक वर्ष के अन्दर जीवन प्रमाण पत्र दिया जाना है तथा उसके पश्चात वर्ष में एक बार जीवन प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक है।

2– जीवन प्रमाण पत्र नियत्रंक संचार लेखा कार्यालय मे डाक से अथवा स्वंय उपस्थित होकर जमा करवाये जा सकते है, अथवा पेंशनर द्वारा बैंक, डाकघर, सी0एस0सी0 या नियत्रंक संचार लेखा कार्यालय भोपाल के पेंशनर लाउंज में जाकर डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं।

3– सम्पन्न पेंशनरों/परिवार पेंशनर को रोजगार करने अथवा न करने से संबंधित प्रमाण पत्र भी नियत्रंक संचार लेखा कार्यालय में वर्ष में एक बार भिजवाना है (ग्रुप ए से सेवानिवृत्त पेंशनर प्रत्येक 06 माह में प्रस्तुत करें)।

4– सम्पन्न परिवार पेंशनरों के प्रकरण मे विवाह या पूर्नविवाह न करने संबंधित प्रमाण पत्र हर 06 माह में नियत्रंक संचार लेखा कार्यालय में जमा करायें ।

उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र निर्धारित तिथी से दो माह पूर्व इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना चाहिये जिससे पेंशन का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जा सकें ।

5– सभी सम्पन्न पेंशनरों को आयकर कटौती से छूट हेतु बचत का प्रस्तावित घोषणा पत्र प्रतिवर्ष 15 अप्रैल के पूर्व प्रस्तुत किया जाना है एवं 10 अक्टूबर तक बचत दस्तावेज के साथ वास्तविक घोषण पत्र प्रस्तुत किया जाना है यह घोषणा पत्र सम्पन्न की वेब साईट पर आनलाईन अथवा डाक द्वारा प्रेषित कर सकते है । घोषणा पत्र समय से प्रस्तुत न किये जाने पर नियमानुसार आयकर की कटौती प्रारम्भ कर दी जावेगी ।

सभी प्रपत्र वेब साईट ccamp.nic.in पर उपलब्ध है ।